स्पेशल एस.सी./एस.टी. 96/2020
एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड संख्या–23/2020

Sri Santosh Kumar
DASJ-I-cum-Spl. Judge S.C./S.T.
Saharsa

जिला– सहरसा
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सहरसा
–सह–
विशेष न्यायाधीश अनु.जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि.
सहरसा
स्पेशल एस.सी./एस.टी. 96/2020
एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड संख्या–101/2021

1. राज्य (द्वारा) कांति देवी पति श्री राम शर्मा
साकिन–कटैया, वार्ड नं0 11,
थाना–बिहरा, जिला–सहरसा।

.....अभियोजन पक्ष

बनाम

1. संदीप कुमार उर्फ मुन्ना उम्र 28 वर्ष, पिता देवेन्द्र प्रसाद सिंह
साकिन कटैया, वार्ड नं0 11, थाना बिहरा, जिला सहरसा।

.....अभियुक्त

वाद से संबंधित तिथियों का विवरणः–

1.	घटना की तिथि	11.08.2020	
2.	प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	15.08.2020	अंदर धारा 341, 323, 354बी0, 379, 447, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r)(s)(wi), 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
3.	आरोप पत्र सं. एवं दाखिल करने की तिथि	24/2020, 31.08.2020	अंदर धारा 341, 323, 354बी0, 379, 447, 504, 506, 34 भा.द.वि. परिवर्तित धारा 341, 323, 354, 447, 504, 506, 34 भा0द0वि0एवं धारा–3(i)(r)(s)(wii) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
4.	संज्ञान लेने की तिथि	15.01.2022	अंदर धारा 341, 323, 354, 447, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r)(s)(wii) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
5.	आरोप गठन की तिथि	08.04.2022	अंदर धारा 341, 323, 354, 447, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r)(s)(wii) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
6.	अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	22.06.2022	
7.	अभियोजन साक्ष्य बंद होने की तिथि	15.05.2026	
8.	धारा–313 द0प्र0स0बयान तिथि	18.05.2026	

9.	सफाई साक्ष्य प्रारंभ की तिथि		
10.	सफाई साक्ष्य बंद होने की तिथि		
11.	बहस प्रारंभ होने की तिथि	05.06.2026	
12.	बहस बंद करने की तिथि	05.06.2026	
13.	निर्णय की तिथि	05.06.2026	

अभियोजन की ओर से :– श्री अमरेंद्र कुमार
विद्वान विशेष लोक अभियोजक

बचाव पक्ष की ओर से :– श्री इंद्र भूषण प्रसाद यादव, विद्वान अधिवक्ता

सहरसा, दिनांक–05.06.2026

उपस्थितः– श्री संतोष कुमार,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा।

निर्णय

1. इस आपराधिक वाद के अभियुक्त 1. संदीप कुमार उर्फ मुन्ना के विरूद्ध धारा– 341, 323, 354, 447, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r)(s)(wii) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों के विनिश्चयन हेतु विचारण किया गया है।

2. अभियोजन कहानी का सारांश यह है कि '' मैं क्रांति देवी पति श्री राम शर्मा साकिन कटैया, वार्ड नं0 1, थाना बिहरा, जिला सहरसा का चौपाल समुदाय का हरिजन गृहणी महिला हूँ। दिनांक 11.08.2020 रोज मंगलवार को समय करीब चार बजे संध्या में मैं अपने आंगन में थी तथी संदीप कुमार उर्फ मुन्ना पिता देवेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम कटैया, थाना बिहरा, जिला सहरसा एवं अन्य एक अज्ञात अपने अपने हाथ में लाठी से लैस होकर आंन में घूसकर मुझे यह कहने लगा कि कहां है मादरचोद श्रीम राम शर्मा और सीता राम शर्मा। जिस पर मैं यह बोली कि आप लोग मेरे आंगन में आकर क्यों हो हंगामा कर रहे हे इतने में संदीप कुमार उर्फ मुन्ना मुझे भद्दी भद्दी गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती बाल पकड़ कर जमीन पर पटक दिया और कहने लगा कि आज चौपालनियॉ हरामजादी तुम को

मजा चखा देते हैं बोलते बोलते बदन से साड़ी खींचकर अर्द्धनग्न कर दिया और गले में पहने सोना की सिकरी मूल्य लगभग 25000/–रूपये का संदीप कुमार उर्फ मुन्ना लपक कर खींच लिया उसके बाद दोनों मिलकर बेरहमी से छाती, पेट बदन पर लाठी लात घूसा से मारपीट भी किया लोगों को इकट्ठा होते हुए देख यह धमकी देकर भाग गया कि अगर थाना पुलिस में शिकायत करोगी तो तुम्हारे पति को जान से मरवा देंगे। जब हम अपने गोतनी के पुतोहू के साथ देवेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता स्व0 जगदेव प्रसाद सिंह ग्राम कटैया थाना बिहरा, जिला सहरसा को यह बोलने गये कि आप का बेटा एक अन्य आदमी के साथ मिलकर मेरे साथ गाली गलौज व मारपीट लूटपाट किया है इतना सुनते ही उल्टे देवेन्द्र प्रसाद सिंह यह बोलने लगा कि हरामजादा हरिजन लोग भाग जाओ नहीं तो तुम लोगों को पता है हीं कि पुलिस हमलोगों के मेल में है, नहीं मानोगी तो आगे इससे भी बुरा हाल करवा देंगे।'' उपरोक्त आशय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया।

3. उपरोक्त आशय का सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर एस0सी0/एस0टी थाना कांड संख्या– 23/2020 अंतर्गत धारा–341, 323, 354बी0, 379, 447, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r)(s)(wi), 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत नामजद अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाकर अभियुक्त 1. संदीप कुमार उर्फ मुन्ना के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–24/2020 दिनांक–31.08.2020 समर्पित किया गया।

4. आरोप पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त अभियुक्त 1. संदीप कुमार उर्फ मुन्ना के विरूद्ध दिनांक–15.01.2022 धारा– 341, 323, 354, 447, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r)(s)(wii) अनु.जाति जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेते हुए वाद दौरा सुपूर्दगी किया गया।

5. दिनांक–08.04.2022 को उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 341, 323, 354, 447, 504, 506, 34 भा0द0वि0 एवं धारा–3(i)(r)(s)(wii) अनु. जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि.के अंतर्गत आरोप का गठन होने के पश्चात अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य ग्रहण किया गया है। साक्ष्य प्रकरण बंद होने के पश्चात दिनांक–18.04.2026 को अभियुक्त का बयान धारा–313 द.प्र.स.के

अंतर्गत लिया गया। अभियुक्त का बचाव है कि इनको इस मुकदमा में झूठा फंसाया गया है तथा वे निर्दोष हैं।

6. अब इस वाद में मुख्य विनिश्चयन का प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

मन्तव्य

तथा कथित आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से कुल मिलाकर पॉच अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है वे है अभियोजन साक्षी संख्या–1 दिनेश चौरसिया, अभियोजन साक्षी संख्या–2 नंदेलाल शर्मा, अभियोजन साक्षी संख्या–3 सीताराम शर्मा, अभियोजन साक्षी संख्या–4 गुलाबी देवी, अभियोजन साक्षी संख्या–5 क्रांति देवी।

इन पॉचों साक्षियों में से अभियोजन साक्षी संख्या–1 दिनेश चौरसिया, अभियोजन साक्षी संख्या–3 सीता राम शर्मा, अभियोजन साक्षी संख्या–4 गुलाबी देवी ने न्यायालय में स्पष्ट कथन किया कि घटना के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता हूॅ। पुलिस के समक्ष मेरा कोई बयान नहीं हुआ था।

अभियोजन साक्षी संख्या–2 नंदेलाल शर्मा ने न्यायालय में कथन किया कि साढ़े तीन बजे–साढ़े चार बजे शाम की घटना है। मैं मवेशी को खिला रहा था। हल्ला सुना तो मैं घटनास्थल पर गया। मैंने देखा कि मुदालह मुन्ना उर्फ संदीप क्रांती देवी को गाली गुप्ता कर रहा था। उसके बाद मारपीट होने लगा तो मैंने जब मना किया तो मुन्ना उर्फ संदीप मुझे ऑख दिखाने लगा और पंचायती में भी नहीं आया। उसके बाद मुदालह मारपीट कर चले गये। बचाव पक्ष के द्वारा इनका प्रतिपरीक्षण किया गया। प्रतिपरीक्षण में इन्होंने कथन किया कि मैं मेघू शर्मा को पहचानता हूॅ। मेघू शर्मा का भाई शिबू शर्मा था। मेघू शर्मा के मरने के बाद उसकी पत्नी गुलाब देवी से शादी कर लिया।

अभियोजन साक्षी संख्या–5 क्रांती देवी जो इस वाद की सूचिका है इन्होंने न्यायालय में स्पष्ट कथन किया कि घटना आठ साल पहले तीन–चार बजे दिन की है। उस दिन जमीन को लेकर संदीप कुमार और रविन्द्र सिंह के बीच गाली–गलौज एवं जाति सूचक शब्द बोलकर झगड़ा हुआ था। झगड़ा में तीन हजार रूपये का सिकरी छीन लिया गया था। आवेदन पर मैंने अपने अॅगूठे का निशान दिया तथा गवाहों ने अपना हस्ताक्षर बनाया था। बचावपक्ष के द्वारा इनका

पूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया। प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इनके कथनानुसार संदीप उर्फ मुन्ना मुदालह मेरा पड़ोसी है। हमदोनों के बीच में सुलह हो गया है और अब हम मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं।

इस तरह अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक विवेचनोंपरांत अदालत इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन के द्वारा अभ्युिक्त पर लगाये आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से कोई विधिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभिलेख पर विश्वसनीय साक्ष्य के कमी के कारण इस वाद के उपरोक्त अभियुक्त को उनके विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हुए उन्हें तथा उनके जमानतदारों को बंधपत्रों के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
05.06.2026

लेखापित

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
सहरसा
05.06.2026

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी, अन्य साक्षी)
p.w.-1	दिनेश चौरसिया	अन्य साक्षी
p.w.-2	नंदेलाल शमा	अन्य साक्षी
p.w.-3	सीताराम शर्मा	अन्य साक्षी
p.w.-4	गुलाबी देवी	अन्य साक्षी
p.w.-5	क्रांति देवी	सूचक

ख–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी, अन्य साक्षी)

ग–बचाव पक्ष साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति(प्रत्यक्षदर्षी साक्षी,पुलिस साक्षी,विषेषज्ञ साज्ञी साक्षी,मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी साक्षी,अन्य साक्षी)

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श की सूची

क–अभियोजन

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ख–बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

ग–न्यायालय प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

घ–वस्तु प्रदर्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण

(संतोष कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह–
विशेष न्यायाधीश, सहरसा
05.06.2026